



# नवीन पट्टा प्रारूप



नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग  
राजस्थान सरकार।

# स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न पट्टों के नवीन प्रारूप



## पट्टों के प्रकार

1. **लीज होल्ड के पट्टे:**— 99 वर्ष की लीज पर
2. **फ्री होल्ड पट्टे** :— नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं कृषि भूमि का गैर—कृषि प्रयोजनके लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012 के तहत फ्री होल्ड पट्टे 10 वर्ष की एक मुश्त लीज अग्रीम जमा कराने पर।
3. **राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69—क के तहत** :— गैर—कृषि भूमि का समर्पण और फ्री होल्ड पट्टा नियम—2015



# स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न पट्टों विलेखों के नवीन प्रारूप

## पट्टा विलेख के कलर एवं उपयोग

क्र. सं.	भू-खण्ड उपयोग	भू-उपयोग कलर	पट्टा विलेख कलर
1.	आवासीय	पीला कलर	
2.	व्यावसायिक / पर्यटन	लाल कलर	
3.	मिश्रित उपयोग	नांरगी कलर	
4.	संस्थागत उपयोग	नीला कलर	
5.	औद्योगिक	बैंगनी कलर	
6.	69 A के पट्टे	हैरिटज (गेरू) कलर	

# स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न पट्टों के नवीन प्रारूप व्यक्तिगत पट्टा प्रारूप (प्रथम पृष्ठ पर अंकित किये जाने वाली प्रविष्टियां)



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. अशोक स्तंभ</li><li>2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पासपोर्ट आकार का फोटो पट्टे के बाईं ओर</li><li>3. पट्टा धारक का पासपोर्ट आकार का फोटो पट्टे के दायाँ ओर (संयुक्त होने की दशा में एक से अधिक फोटो)</li><li>4. स्थानीय निकाय का नाम</li><li>5. पट्टा विलेख का विवरण</li><li>6. भूखंड का उपयोग –<br/>आवासीय / व्यावसायिक / मिश्रित /<br/>संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन</li><li>7. अधिनियम के तहत (किस अधिनियम के तहत पट्टा दिया जा रहा है।)</li><li>8. क्रमांक</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>9. दिनांक</li><li>10. पट्टा धारक का नाम</li><li>11. पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति का नाम</li><li>12. निवासी (पता)</li><li>13. भूखंड संख्या / खसरा संख्या</li><li>14. क्षेत्रफल / आकार</li><li>15. योजना का नाम (यदि नाम हो तो)</li><li>16. पट्टा निष्पादन का दिनांक</li><li>17. पट्टा धारक के हस्ताक्षर</li><li>18. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर</li><li>19. पंजीकृत पृष्ठांकन संलग्न है।</li><li>20. पट्टे की शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।</li></ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न पट्टों के नवीन प्रारूप कम्पनी/फर्म पट्टा प्रारूप (प्रथम पृष्ठ पर अंकित किये जाने वाली प्रविष्टियां)



1. अशोक स्तंभ
2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पासपोर्ट आकार का फोटो पट्टे के बाईं ओर
3. पट्टा धारक का पासपोर्ट आकार का फोटो पट्टे के दायाँ ओर (संयुक्त होने की दशा में एक से अधिक फोटो)
4. स्थानीय निकाय का नाम
5. पट्टा विलेख का विवरण
6. भूखंड का उपयोग – आवासीय/व्यावसायिक/मिश्रित/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन
7. अधिनियम के तहत (किस अधिनियम के तहत पट्टा दिया जा रहा है।)
8. क्रमांक
9. दिनांक
10. पट्टा धारक मैसर्स
11. कार्यालय का पता
12. जरिये
13. (पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री
14. पुत्र/पुत्री का नाम
15. निवासी (पता)
16. भूखंड संख्या/खसरा संख्या
17. क्षेत्रफल/आकार
18. योजना का नाम (यदि नाम हो तो)
19. पट्टा निष्पादन का दिनांक
20. पट्टा धारक के हस्ताक्षर
21. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
22. पंजीकृत पृष्ठांकन संलग्न है।
23. पट्टे की शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

## पट्टों की शर्तें

आवासीय / व्यवसायिक / मिश्रित / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन उपयोग  
पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड / लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)



1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड / निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार / जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (छब्ब) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।

## पट्टों की शर्तें

आवासीय / व्यवसायिक / मिश्रित / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन उपयोग  
पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड / लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)



6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य.....

## लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

अथवा

पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. अन्य.....

## पट्टों की शर्तें

आवासीय / व्यवसायिक / मिश्रित / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन उपयोग  
(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)



1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड / निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय / हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार / जीवन बीमा निगम / ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।



## पट्टों की शर्तें

आवासीय / व्यवसायिक / मिश्रित / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन उपयोग  
(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)



6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य.....

### लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।

अथवा

पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय / हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. अन्य.....

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत गैर-कृषि  
भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015  
आवासीय / मिश्रित / व्यवसायिक / संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें



1. पट्टा धारक द्वारा भवन का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भवन में प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित **अनुसूची** में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भवन को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भवन को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. भवन के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को केंद्र/राज्य सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत गैर-कृषि  
भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015  
आवासीय / मिश्रित / व्यवसायिक / संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें



6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भवन का उपविभाजन / पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
8. अन्य.....

### हैरिटेज भवनों हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार करते हुए उस क्षेत्र के हैरिटेज स्वरूप को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
2. ऐसे परंपरागत भवन जिनमें नीचे दुकाने और ऊपर आवासीय भवन चल है ऐसे भवन मिश्रित भू उपयोग की श्रेणी में मान्य होंगे।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत गैर-कृषि  
भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015  
आवासीय / मिश्रित / व्यवसायिक / संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें



**हैरिटेज भवनों हेतु अतिरिक्त शर्तें**

3. परंपरागत भवन जिनमें पारिवारिक बटवारों से भवन का मौके पर अर्जित हिस्सा / काबिज हो रखा है तथा एक ही भवन में प्रत्येक मंजिल पर हिस्सेदारी से काबिज है उनका विस्तृत साईट प्लान मय क्षेत्रफल के एवं निर्मित क्षेत्रफल के अनुरूप पृथक से साईट प्लान इस पट्टे के साथ संलग्न है जो इस पट्टे का भाग हैं।
4. शहर के चार दिवारी क्षेत्र में भवनों का निर्माण / पुनः निर्माण / जीर्णोधार हैरिटेज के मानदण्ड अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।
5. हैरिटेज महत्व के स्थलों व स्मारकों के आसपास के क्षेत्र के भवनों का निर्माण ASI / Rajasthan State ASI के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
6. यह पट्टा स्वनिर्धारण के आधार पर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पट्टा धारक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. अन्य शर्तें आवश्यकतानुरूप जोड़ी जा सकती हैं।



# स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न पट्टा विलेख जारी करने बाबत

## अन्य निर्देश

1. पट्टा विलेख नवीन प्रारूप के अनुसार जारी किया जायेगा ।
2. पट्टा विलेख स्थानीय निकाय द्वारा कम्प्युटर से आवश्यकतानुरूप जनरेट/प्रिंट किया जा सकता है ।
3. पट्टा विलेख आवश्यकतानुरूप 92 – 110 Gsm पेपर पर जनरेट/प्रिंट किया जा सकता है ।
4. आवश्यकतानुरूप साइट प्लान अलग से तैयार कर पट्टे के साथ संलग्न किया जा सकता है ।
5. आवश्यकतानुरूप विशिष्ट पट्टों में अतिरिक्त शर्तें जोड़ी/घटायी जा सकती हैं ।
6. आवश्यकतानुरूप संयुक्त पट्टा धारकों के फोटो एक से अधिक भी निर्देशित स्थान पर लगाये जा सकते हैं ।


**पट्टे पर किसका 'पट्टा':** नगरीय विकास विभाग की तैयारी, औपचारिक मुहर लगना बाकी

# रंगीन होंगे पट्टे, भू-उपयोग के अनुसार 6 रंग में




**पत्रिका**  
**ग्राउंड रिपोर्ट**

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com



**पिछली** भाजपा सरकार में जारी पट्टे पर वसुंधरा राजे की फोटो।



**अब** पट्टों का प्रस्तावित प्रारूप, जिस पर अशोक गहलोत की फोटो।

## इतने पट्टे, इतनी कमाई

**10 लाख** पट्टे बाटेगी सरकार  
**5 हजार करोड़** रुपए कमाने का तय किया है लक्ष्य  
**पहली बार होंगे रंगीन पट्टे**

**पहली** बार लोगों को रंगीन पट्टे जारी किए जाएंगे। अभियान के लिए भू-उपयोग के अनुसार 6 तरह के पट्टे बनाए जा रहे हैं। ये

अलग-अलग रंग में होंगे। इनमें आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, संस्थागत, औद्योगिक और धारा 69-ए में शामिल सम्पत्तियां हैं।

**तब कांग्रेस ने बताया था कानून के विरुद्ध**

पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर लगाए गए थे। इस दौरान छपवाए गए पट्टों पर राजे का फोटो और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी

वर्ष का लोगो लगाया गया था। इसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि कानून के विरुद्ध होने का दावा करते हुए कोर्ट में चुनौती देने तक की बात चली थी।

**यह है धारा 69-ए-**

धारा 69-ए के तहत ऐसी अकृषि भूखंड या जमीन संबंधित निकाय को सरेंडर की जाएगी, जहां लोग रह रहे हैं लेकिन उनके पास विधिक टाइटल नहीं है। इसके बाद निकाय उसे

विधिक पट्टा जारी करेगा। ऐसे भूखंड-जमीन निकाय सीमा में होना आवश्यक है। शहरों में पुरानी बसावट में इस धारा का इस्तेमाल कर पट्टे दिए जाएंगे।

**कौनसा पट्टा होगा किस रंग का**

आवासीय	पीला
व्यावसायिक	लाल
मिश्रित भू-उपयोग	नारंगी
संस्थागत	नीला
औद्योगिक भू-उपयोग	बैंगनी
धारा 69-ए	गुलाबी



**पट्टे पर मुख्यमंत्री का प्रतीक** के रूप में फोटो लग सकता है। मंथन कर रहे हैं, अंतिम निर्णय होना बाकी है।

**शांति धारीवाल**, नगरीय विकास मंत्री



## स्थानीय निकाय का नाम पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)

### आवासीय

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

फोटो

पट्टा धारक

क्रमांक/ दिनांक

पट्टा धारक का नाम ..... पुत्र/पुत्री

पत्नी ..... पति

निवासी .....

पट्टा धारक मैसर्स \* शहर \* कार्यालय पता 2021 \*

अथवा

कार्यालय पता

जरिये .....

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री

निवासी .....

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल .....

योजना ..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक ..... को

निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



### आवासीय

## पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

### पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य.....

### लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुक्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा  
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. अन्य.....

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....


साक्षी :-

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता .....

### साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



स्थानीय निकाय का नाम

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)

व्यवसायिक/पर्यटन

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक/ दिनांक

पट्टा धारक का नाम ..... पुत्र/पुत्री .....

पत्नी ..... पति .....

निवासी .....

पट्टा धारक मैसर्स ..... कार्यालय पता .....

अथवा

सरकार को हाथ,  
जवता के साथ

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री..... पुत्र/पुत्री .....

निवासी .....

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल .....

योजना..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक.....को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तों पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



व्यवसायिक/पर्यटन

पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अथवा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य.....

लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा  
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- अन्य.....

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

साक्षी :-


हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

साइट प्लान



साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर







स्थानीय निकाय का नाम  
पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)  
मिश्रित

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक/ दिनांक

पट्टा धारक का नाम ..... पुत्र/पुत्री

पत्नी ..... पति

निवासी .....

पट्टा धारक मैसर्स ..... अथवा  
शहर कार्यालय पत्ता 2021  
जरिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री

निवासी .....

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल

योजना ..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक ..... को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

फोटो  
पट्टा धारक



मिश्रित  
पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मॉर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य.....

लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा  
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. अन्य.....

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

साक्षी :-


हस्ताक्षर.....

नाम .....

पता .....

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर





स्थानीय निकाय का नाम  
पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)

संस्थागत

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

फोटो  
पट्टा धारक

क्रमांक / दिनांक

पट्टा धारक का नाम ..... पुत्र/पुत्री  
पत्नी ..... पति

निवासी .....

पट्टा धारक मैसर्स ..... अथवा  
कार्यालय पता .....  
जसिये .....

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री  
निवासी .....

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल .....

योजना..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक.....को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



संस्थागत  
पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निमित्त क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेंज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य.....

लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा  
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- अन्य.....

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....  
उत्तर..... दक्षिण.....


पट्टा धारक के हस्ताक्षर

- .....
- .....

साक्षी :-

हस्ताक्षर.....  
नाम .....  
पता .....

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



स्थानीय निकाय का नाम  
पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)  
औद्योगिक

स्थानीय निकाय की योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत पट्टा विलेख

क्रमांक/ दिनांक

पट्टा धारक का नाम ..... पुत्र/पुत्री

पत्नी ..... पति

निवासी .....

.....

पट्टा धारक मैसर्स ..... अथवा

★ शहर कार्यालय पत्ता 2021 ★

जसिये

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री

निवासी .....

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल

योजना ..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक.....को

निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



औद्योगिक  
पट्टा विलेख की शर्तें (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

पट्टे की शर्तें

- पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
- उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
- पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बैंक (नोर्मेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
- भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
- पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
- पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
- अन्य.....

लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्तें

- पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।  
अथवा  
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि..... प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- अन्य.....

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....


साक्षी :-

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

साइट प्लान



सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



## स्थानीय निकाय का नाम 69-क पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत

क्रमांक/ दिनांक

पट्टा धारक का नाम ..... पुत्र/पुत्री .....

पत्नी ..... पति .....

निवासी .....

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ..... कार्यालय पता .....

..... जरिये .....

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री .....

निवासी .....

भूखण्ड सं. .... क्षेत्रफल .....

योजना..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक .....

को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।

फोटो  
पट्टा धारक



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



## राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत गैर-कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015

आवासीय/मिश्रित/व्यवसायिक/संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें

पट्टा जारी करने का आधार/समर्पित किये गये दस्तावेज..... जिसके आधार पर यह पट्टा दिया जा रहा है।

1. पट्टा धारक द्वारा भवन का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भवन में प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. पट्टा धारक उक्त भवन को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भवन को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. भवन के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को केंद्र/राज्य सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों के तहत करना होगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भवन का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
8. अन्य.....

### हैरिटेज भवनों हेतु अतिरिक्त शर्तें

1. भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार करते हुए उस क्षेत्र के हैरिटेज स्वरूप को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
2. ऐसे परंपरागत भवन जिनमें नीचे दुकाने और ऊपर आवासीय भवन चल है ऐसे भवन मिश्रित भू उपयोग की श्रेणी में मान्य होंगे।
3. परंपरागत भवन जिनमें पारिवारिक बटवारे से भवन का मौके पर अर्जित हिस्सा/काबिज हो रखा है तथा एक ही भवन में प्रत्येक मंजिल पर हिस्सेदारी से काबिज है उनका विस्तृत साईट प्लान मय क्षेत्रफल के एवं निर्मित क्षेत्रफल के अनुरूप पृथक से साईट प्लान इस पट्टे के साथ संलग्न है जो इस पट्टे का भाग है।
4. शहर के चार दिवारी क्षेत्र में भवनों का निर्माण/पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार हैरिटेज के मानदण्ड अनुरूप रखा जाना आवश्यक होगा।
5. हैरिटेज महत्व के स्थलों व स्मारकों के आसपास के क्षेत्र के भवनों का निर्माण ASI / Rajasthan State ASI के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
6. यह पट्टा स्वनिर्धारण के आधार पर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पट्टा धारक स्वयं जिम्मेदार होगा।

अन्य शर्तें आवश्यकतानुरूप जोड़ी जा सकती हैं।

स्टाम्प झूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व..... पश्चिम.....

उत्तर..... दक्षिण.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

साक्षी :-


हस्ताक्षर.....

नाम .....

पता .....

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

### साईट प्लान



साईट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर



# 69-क गैर-कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015

आवासीय/मिश्रित/व्यवसायिक/संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें


विस्तृत साइट प्लान




भूखण्ड/भवन सं. ....

स्वामित्व समर्पित कर्ताओं का नाम (संयुक्त स्वामित्व) :-


- |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. नाम .....  | 2. नाम .....  | 3. नाम .....  | 4. नाम .....  |
| पिता/पति..... | पिता/पति..... | पिता/पति..... | पिता/पति..... |
| व्यवसाय ..... | व्यवसाय ..... | व्यवसाय ..... | व्यवसाय ..... |
| निवासी .....  | निवासी .....  | निवासी .....  | निवासी .....  |




भू-तल



प्रथम-तल



द्वितीय-तल



तृतीय-तल

भवन का सामलाती क्षेत्र (Common area) का विवरण :-

मुख्य प्रवेश द्वार..... चौक/आवागमन का रास्ता..... बरामदे/चबूतरा.....

सीढ़िया/जीना..... पानी का टैंक..... शौचालय इत्यादि.....

या

साईट प्लान में किये गये अंकन के अनुसार।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



# 69-क गैर-कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियम-2015


आवासीय/मिश्रित/व्यवसायिक/संस्थागत फ्री होल्ड पट्टा विलेख की शर्तें

विस्तृत साइट प्लान


भूखण्ड/भवन सं. ....

स्वामित्व समर्पित कर्ता (हिस्सेदार) :-


- नाम .....
- पिता/पति.....
- निवासी .....
- कुल काबिज क्षेत्रफल .....




भू-तल



प्रथम-तल



द्वितीय-तल



तृतीय-तल

भवन का सामेलाती क्षेत्र (Common area) का विवरण :-

मुख्य प्रवेश द्वार..... चौक/आवागमन का रास्ता..... बरामदे/चबूतरा.....

सीढ़िया/जीना..... पानी का टैंक..... शौचालय इत्यादि.....

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

1. ....

2. ....

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

# स्थानीय निकाय का नाम




साईट प्लान – आवासीय / व्यवसायिक / मिश्रित / संस्थागत / औद्योगिक / पर्यटन उपयोग

योजना / गैर योजना राजस्व ग्राम – ..... आराजी संख्या .....

भूखण्ड संख्या ..... भूखण्ड का आकार .....

पट्टा धारक का नाम – .....



पैमाना (स्केल) .....

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल .....

नोट – भूखण्ड पर भवन निर्माण, निर्धारित अवधि में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप किया जाये।

कनिष्ठ / सहायक अभियंता

सहायक / उप नगर नियोजक

अधिकृत अधिकारी

- पंजीकृत / पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



Following details are for Land/Plot Registration Purpose

## 1) Presentation Endorsement (धारा- 52)

आज दिनांक ..... को ..... बजे

श्री / श्रीमती / सुश्री ..... पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री ..... उम्र ..... जाति .....

व्यवसाय ..... निवासी ..... शहर ..... जिला .....

राजस्थान ने मेरे सम्मुख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक  
(कार्यालय का नाम)

## 2) पूर्ण मुद्रांकन का प्रमाण पत्र (धारा-54)

प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियता ..... रुपये मानते हुए इस पर देय मुद्रांक राशि रुपये ..... पंजीयन शुल्क ..... रुपये सरचार्ज ..... रुपये कुल ..... रुपये रसीद संख्या ..... दिनांक ..... से जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज रुपये ..... मुद्रांक पर निष्पादित माना जाता है।


हस्ताक्षर उप पंजीयक  
(कार्यालय का नाम)

## (3) निष्पादन की स्वीकृति का पृष्ठांकन (धारा-58) (Rule 185.B.(1))

श्री / श्रीमती / सुश्री ..... पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री ..... उम्र ..... जाति .....

व्यवसाय ..... निवासी ..... जिला ..... राजस्थान, जो व्यक्तिशः जानकर है, ने लेख्य पत्र को पढ़, सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया तथा प्रतिफल प्राप्त करना स्वीकार किया है।

हस्ताक्षर निष्पादक  
(अगूठा निशानी)



हस्ताक्षर उप पंजीयक  
(कार्यालय का नाम)

## (4) पंजीयन का प्रमाण पत्र (धारा-60)

आज दिनांक ..... को पुस्तक संख्या 1 के जिल्द संख्या ..... में पृष्ठ संख्या ..... पर पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुस्तक संख्या ..... जिल्द संख्या ..... के पृष्ठ संख्या ..... पर किया।

हस्ताक्षर उप पंजीयक  
(कार्यालय का नाम)

विभिन्न गतिविधियाँ एवं कार्य संगत के आधार पर आवश्यक भवनों का विवरण

क्र.सं.	भवनों का प्रकार	गतिविधियाँ एवं कार्य संगत
1	2	3
1	आवासीय	फार्म हाउस, स्वतंत्र आवासीय, बहुआवासीय, फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग, स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विसड अपार्टमेंट, हॉस्टल, पर्यावरण मैत्री आवास।
2	वाणिज्यिक	कन्फेक्शनरी बाजार पशु बाजार, चारा बाजार, खाद तेल/घी बाजार, खाद्यान/दाल/मसाला/शुष्क फल बाजार, वारदाना बाजार, चाय बाजार, किराना बाजार, मुर्गी उत्पाद बाजार, वस्त्र होजरी एवं गारमेंट बाजार लौह एवं इस्पात/हाईवेयर बाजार पेन्ट एवं वार्निश बाजार पत्थर पट्टी बाजार संगमरमर एवं अन्य विल्डिंग स्टोन बाजार ईट/बजरी/चूना बाजार, सेनीटरी फिटिंग बाजार अन्य निर्माण सामग्री वस्तु बाजार मत्स्य एवं मांस बाजार रसायन बाजार, औषध बाजार शल्य चिकित्सा/वैज्ञानिक उपकरण बाजार, कागज/लेखन सामग्री/ पुरतक प्रकाशन बाजार, मुद्राणालय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत सामान बाजार, ऑटोमोबाइल एवं अन्य इंजीनियरिंग पुर्जा बाजार, लुब्रिकेंटिंग ऑयल बाजार, टायर एवं ट्यूब बाजार, पारम्परिक हस्तकला बाजार, शिल्पीकृत प्रस्तर बाजार, पटाखा बाजार, कार्ड बोर्ड कन्टेनर्स एवं कागजी थैली बाजार, तम्बाकू एवं सहउत्पाद बाजार, प्लास्टिक उत्पाद बाजार क्राकरी एवं वर्तन बाजार, सोना, चाँदी, जवाहरात एवं रत्न बाजार, चर्म उत्पाद बाजार, साईकिल बाजार, धातु उत्पाद बाजार, खिलौना एवं खेलकूद के सामान का बाजार, खुदरा दुकानें रिपेयर शॉप/सर्विस शॉप/विविध विनिर्माण दुकान, साप्ताहिक बाजार/हाट बाजार, बेडिंग बूथ (स्थिर) कियोस्क, अनौपचारिक खुदरा दुकाने, रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया निजी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक, प्रदर्शनी एवं विक्री क्षेत्र, केंटर, टेंट हाउस, होटल, मोटल, पेट्रोल/गैस फिलिंग स्टेशन, जंक शॉप, पुष्प विक्रेता, डेयरी बूथ, फल एवं सब्जी की दुकान, नाई की दुकान, सिनेमा, मिनीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, एम्प्युजमेंट पार्क, धर्म कौंटा, विवाह स्थल, गेस्ट हाउस, बॉडिंग एण्ड लॉजिंग,।
3	संस्थागत भवन	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय, स्वायत्त शासन कार्यालय, सरकारी आरक्षित क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान, ऑटो मोबाइल्स ड्राइविंग स्कूल, व्यावसायिक प्रबन्ध संस्थान, होटल प्रबन्ध संस्थान, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाएँ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्था, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान, रेन बसेरा, धर्मशाला, शिशु सदन/कामकाजी महिला सदन, वृद्धावस्था सदन, प्रौढ शिक्षा/शिक्षाकर्मी केन्द्र आदि, कला, एवं हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनवाडी केन्द्र, पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री/विलनिक/डाइग्नोस्टिक सेन्टर, प्रसूति नर्सिंग सदन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, निजी नर्सिंग सदन, संग्रहालय, कला दीर्घा, प्लेनेटोरियम, महिला सदन, सामुदायिक केन्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूमि, योग एवं साधना केन्द्र, धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, श्मशान, कब्रिस्तान/सीमेट्री, अग्निशमन केन्द्र, जेल, सुधार/बाल अपराध सदन, टेलिफोन एक्सचेंज, डाकघर, तारघर, निजी कोरियर सेवा, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, दूरसंचार टावर, एवं स्टेशन, गैस

		बुकिंग/सप्लाइ स्थान, पुलिस थाना, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन, नागरिक सुरक्षा/होम गार्ड, फोरन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला, सभा भवन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कॉल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिपशन, बायो इन्फोरमेटिक, वेब/डिजिटल डवलपमेंट सेन्टर, सूचना प्रौद्योगिकी।
4	औद्योगिक	कृषि आधारित उद्योग, यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, रसायन, एवं औषध उद्योग, धात्विक उद्योग, वस्त्र उद्योग, ग्लास एवं सिरेमिक उद्योग, चर्म उद्योग, सीमेंट उद्योग, जोखिम प्रधान उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ग्रेनाईट उद्योग, संगमरमर उद्योग, एवं अन्य कटिंग एवं पॉलिशिंग उद्योग, सेनेट्री वेयर उद्योग, सीमेंट उत्पाद उद्योग, बिजली सामग्री उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, गलिया उद्योग, स्टील फर्नीचर उद्योग, वस्त्र रंगाई एवं छपाई उद्योग, टायर रिट्रेडिंग उद्योग, वध एवं अन्य मांस प्रोसेसिंग उद्योग, कुटीर/गृह उद्योग, डेयरी प्लांट, स्टोन क्रेशर, खनन एवं खदान, ईट चूना भट्टे, वेयर हाउसिंग एवं गोदाम, भण्डारागार, भण्डारण एवं अ-ज्वलनशील वस्तुओं के लिए डिपो, कोल्ड स्टोरेज एवं दुग्धप्रशीतक संयंत्र, जंक यार्ड पेट्रोल उत्पादन डिपो गैस गोदाम कोल यार्ड, ईंधन, लकड़ी यार्ड, स्टीलयार्ड, डेयरी उत्पाद योजना, ऑटो सर्विस स्टेशन,
5	विशेष प्रकृति	ठोस कूड़ाकरकट संग्रह केन्द्र, ठोस कूड़ाकरकट उपचार संयंत्र एवं निस्तारण भूमि के भवन, सीवरेज व गन्दा जल उपचार संयंत्र, सुलभ शौचालय/पब्लिक शौचालय, चमड़ी एवं हड़डी संग्रह केन्द्र, वध गृह, वाटर फिल्टर एवं ट्रीटमेंट प्लान्ट, जल सेवा के जलाशय एवं पब्लिक स्टेशन, प्याउ, पावरग्रिड स्टेशन, विद्युत उत्पादन संयंत्र, पार्क एवं खेल के मैदान, अन्य खुले स्थान, स्विमिंग पूल, खुला थियेटर/रंगमंच, गोल्फ कोर्स, पोलोग्राउण्ड, इण्डोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, खेलकूद परिसर, रीजनल पार्क/शहर स्तरीयपार्क, पक्षी अभयारण्य, वनस्पति पार्क, प्राणी विज्ञान पार्क, यातायात प्रशिक्षण पार्क, एक्यूरीयम, व्यापक परिवहन कोरिडोर, पार्किंग स्थल, तांगा स्टेण्ड, ठेला स्टेण्ड, बेलगाडी/ऊँटगाडी स्टेण्ड, रिक्शा स्टेण्ड, टैक्सी स्टेण्ड, बस स्टॉप, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, रेलवे सामान यार्ड, रेलवे यार्ड, एयर पोर्ट, हैलीपेड, एयर कारगो परिसर, नगर पालिका चूँगी चौकी, ट्रक टर्मिनल्स/ट्रक स्टेण्ड, पथकर चौकी, बिक्री कर चौकी, चैक पोस्ट, बस टिकिट, बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय, कन्टेनर सेवा परिसर, कृषि अनुसंधान फार्म, कृषि फार्म, पुष्प कृषि फार्म, टिश्यूकल्चर, उपवन, पौधशाला, मुर्गी पालन, डेयरी एवं सूअर/बकरी एवं भेड़/अश्व फार्म, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब और एकेडमी।
6	पर्यटन इकाई	रिसोर्ट, होटल, मोटल आदि (पर्यटन विभाग से अनुमोदित पर्यटन इकाई)

नोट :- उपरोक्त विशेष प्रकृति के भवनो की गतिविधियाँ एवं कार्य के लिए भवन जहाँ भी आवश्यक हो सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा मानक स्तर निर्धारित किए जा सकेंगे एवं उक्त अनुसूची को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।